मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 30-12-2015 को आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(1) नया एल0पी0जी0 कनेक्शन :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि गैस एजेन्सी मालिकों द्वारा नये एल0पी0जी0 कनेक्शन में तय राशि से अधिक राशि लिया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सभी गैस एजेन्सी के काउन्टर पर नया कनेक्शन हेतु निर्धारित दर टंगवाने का निदेश दिया गया। नया कनेक्शन के साथ चुल्हा लेने के लिए दवाब नहीं देने का निदेश भी सभी गैस एजेन्सी मालिकों को दिया गया।

(2) व्यवसायिक गैस :-

जिलाधिकारी द्वारा जिले में व्यवसायिक गैस के खपत पर असंतोष व्यक्त की गयी एवं सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को जिले के प्रखंड मुख्यालय बाजार/ग्रामीण बाजार/शहरी क्षेत्रों के होटल/रेस्टोरेन्ट/चाय-नास्ता की दुकान/प्रतिष्ठानों पर छापामारी करने एवं छापामारी का विडियोग्राफी कर विडियो को Whatsapp के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने एवं प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि छापामारी के दौरान होटल/ चाय-नास्ता की दुकानों में एल0पी0जी0 सिलेण्डर (घरेलू गैस) का उपयोग करते पकड़ा जाय तो उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के संगत प्रावधानों के अधीन जप्त कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय। इसी क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि SupplyWatch करके Whatsapp ग्रुप उनके द्वारा बनाया है। जिस पर फोटो/विडियो अपलोड किये जाने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया है

इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेशित किया गया वे अवैध रूप से रिफिलिंग करने वाले दुकानों की भी गहन छापामारी करना सुनिश्चित करें।

छापामारी के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, सिंहेश्वर द्वारा 09, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, मधेपुरा द्वारा 06 एवं प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, मुरलीगंज द्वारा 02 दूकान/होटल में जॉच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है। शेष प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक से छापामारी प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश संबंधित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया ।

(3) गैस सब्सिडी छोड़ने :-

जिलाधिकारी द्वारा गैस सब्सिडी छोड़ने वाले ग्राहकों की संख्या के बारे में पृच्छा की किये जाने, जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मेसर्स त्रिमुति गैस एजेन्सी, मुरलीगंज द्वारा 432 एवं मेसर्स

शिवशक्ति गैस एजेन्सी,मौरा (सिंहेश्वर) द्वारा 401 गैस सब्सिडी छोड़ने वाले लाभूको की संख्या प्रतिवेदित किया है, शेष गैस एजेंसियों से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

जिलाधिकारी द्वारा सभी गैस एजेंसी के प्रोपराईटर को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के मासिक प्रतिवेदन में Subsidy Give Up का कॉलम बनाकर रिपोर्ट जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(4) DBTL :-

जिलाधिकारी द्वारा DBTL का प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि DBTL के तहत् गैस प्राप्ति एवं आपूर्ति में बहुत अन्तर है। जिलाधिकारी द्वारा सभी गैस एजेन्सी मालिकों को निदेश दिया गया कि जो ग्राहक जिले से बाहर रहते है, उनका कनेक्शन लॉक कर दिया जाए एवं पुनः जब वे आते हैं, तो कनेक्शन लॉक खोल दिया जाए, जिससे वास्तविक खपत का पता चल सके एवं गैस की किल्लत न हो सके। इससे संबंधित प्रतिवेदन सभी गैस एजेन्सी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को देगें।

(5) किरासन तेल :-

जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि किरासन तेल की प्राप्ति एवं वितरण की जॉच की जाती है अथवा नहीं। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किरासन तेल प्राप्ति एवं वितरण की जांच की जाती है। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को प्राप्ति एवं वितरण का फोटो लेकर Whatsapp पर फॉटो अपलोड करने का निदेश दिया गया।

(6) पी0डी0एस0 :-

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एस0एफ0सी0 से चावल का उठाव विगत तीन दिनों से नही हो रहा है। इस संबंध में जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि चावल लोड हो रहा है। अतिरिक्त चावल हेतु मांग-पत्र संबंधि विभाग को भेजा गया है।

जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वे नियमित रूप से स्टॉक मोनिटरिंग करें तथा स्टॉक खत्म होने के 20 दिनों के पहले ही अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। भविष्य में इस तरह की समस्या आने पर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा सीधे जिम्मेवार माने जायेगें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी स्वयं इसका पर्यवेक्षण करेंगें तथा स्टॉक प्रतिवेदन प्राप्त करेंगें

समीक्षा के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रखंड पुरैनी के एक डीलर श्री सुभाष राम के द्वारा माह अक्टुबर,14 से खाद्यान्न के उठाव हेतु राशि नही लगायी गयी है,। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज विधिवत् अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करें।

इसी क्रम में एस0एफ0सी0 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत माह नवम्बर,14 में 02 माह दिसम्बर,14 में 19 एवं माह जनवरी,2016 में 109 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा राशि नही लगाया गया है। इसी प्रकार मधेपुरा अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत माह दिसम्बर,14 में 12 एवं जनवरी,2016 में 109 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा राशि नही लगया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि अगले महीने से निर्धारित वर्तमान माह का पैसा लिया जाएगा। बकाया माह के लिए खाद्यान्न उठाव की राशि नही ली जायेगी, जिसे सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम सुनिश्चित करेगें। प्रत्येक माह के 10 तारीख के बाद अगामी माह का खाद्यान्न उठाव की राशि एस0एफ0सी0खाते में जमा नहीं ली जायेगी। अगर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उक्त अवधि तक राशि जमा नहीं कि जाती है, तो इसके लिए बैंकों से बात

करके डीलरों को ऑभर ड्राफ्ट करवाने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को दिया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक आगामी महीने की राशि राज्य खाद्य निगम के खाते में जन वितरण प्रणाली विक्रेता से जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता ससमय राशि जमा नही करते है उनके विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाय। इसमें चूक के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी सीधे जिम्मेवार माने जायेगें।

(7) एस0आई0ओ0 :-

समीक्षा के क्रम में एस0आई0ओ0 जेनरेट होने बात भी शतप्रतिशत एस0आई0ओ0 डिस्पैच नही होने को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा खाद्यान्न के उठाव हेतु राशि जमा करने के तुरंत बाद शतप्रतिशत एस0आई0ओ0 जेनरेट हो तथा एस0आई0ओ0 डिस्पैच हो सुनिश्चित करेगें।

(8) जी0पी0एस0 :-

जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त परिवहन अभिकत्ता (संवेदक) को निदेश दिया गया कि राज्य खाद्य निगम के गोंदाम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आपूर्ति करने वाले गाड़ियों में जी0पी0एस0 सिस्टम ऑफ नही रहे है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबधंक राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया गया कि जिस गाड़ी का जी0पी0एस0 सिस्टम ऑफ रहता है, परिवहन अभिकर्त्ता को होने वाले भुगतान मे से विधिवत् कटौती की जाय।

(09) नये जन वितरण प्रणाली दुकान :-

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1900 की जनसंख्या एवं शहरी क्षेत्रों में 1300 की जनसंख्या पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान आवंटित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज से प्राप्त आरक्षण रोस्टर पंजी सम्पुष्टि हेतु जिला स्थापना शाखा को भेजा गया है।

जिलाधिकारी द्वारा जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि उक्त आरक्षण रोस्टर पंजी की जॉच/सम्पुष्टि कर एक सप्ताह के अन्दर जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी विज्ञापन प्रकाशन हेतु अग्रेतर कार्रवाई करेगें।

(10) कूपन वितरण :-

जिलाधिकारी द्वारा राशन कार्ड एवं कूपन वितरण की प्रखण्डवार समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत जिलाधिकारी द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 7105 दिनांक 03.09.2015 के आलोक में अवितरित अवशेष कूपनों को पात्र लाभूकों को पूर्ववत् शीघ्र वितरण कराये जाने के निदेश के साथ-साथ खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण राशन एवं किरासन कूपन के माध्यम से कराये जाने एवं लाभार्थियों से प्राप्त कूपन के आधार आवंटन करने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा जिला को दिया गया । इससे किसी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सीधे जिम्मेवार माने जायेगें।

इसी क्रम में डीलर संघ के अध्यक्ष द्वारा जानकारी दी गई कि नगर परिषद मधेपुरा में शतप्रतिशत कूपन वितरण नही हुआ है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधेपुरा से पृच्छा किये जाने पर उनके द्वारा बताया कि कूपन शतप्रतिशत वितरण कराया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा संबंधित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कूपन वितरण कर दिया गया है तो वितरण संबंधी अंतिम प्रमाण तीन दिनों के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज के माध्यम से जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(11) अन्यान्य :-

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता का किये गये निरीक्षण की जिलाधिकरी द्वारा की समीक्षोपरांत सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड के कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं मे से 50 प्रतिशत दूकानों का निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण को फोटो SupplyWatch करके Whatsapp पर भी अपलोड करें।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सभी गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर /थौक किरासन तेल विक्रेताओ से व्यापार परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता के संबध में पृच्छा किये जाने पर कोई भी गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर /थौक किरासन तेल विक्रेताओ द्वारा इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लेने के लिए इच्छा प्रकट नही की गई।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखंडवार/निकायवार/ पंचायतवार खाद्यान्न उठाव /पी0डी0एस0 डीलरों का Roster /वितरण आदेश तैयार करें। साथ पी0डी0एस0 द्वारा उठाव किये गये खाद्यान्न की जानकारी लाभूकों को हो इस आशय का लाभूको को एस0एम0एस0 करने हेतु सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत पंचायत के प्रत्येक डीलरो से कम से कम 20(बीस) लाभूको का नाम एवं मोबाईल नं0 प्राप्त कर तीन दिनों के अन्दर जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 39............/आ0, मधेपुरा, दिनांक 14.01.2016

प्रतिलिपि :- सभी थौक किरासन तेल विक्रेता,मधेपुरा जिला /सभी गैस एजेंसी के व्यवस्थापक मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,मधेपुरा/सभी सहायक गोदाम प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- क्षेत्र प्रबंधक,भारतीय खाद्य निगम,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद, मधेपुरा/मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने तथा ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप निदेशक,खाद्य एवं अरौनिक आपूर्ति,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार,पटना को सूचनार्थ समर्पित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।